

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II--खण्ड 3--उप-खण्ड (ii)

PART II-Section 3-Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1024]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 29, 2016/वैशाख 9, 1938

No. 1024]

NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 29, 2016/VAISAKHA 9, 1938

संचार और सुचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 अप्रैल, 2016

का.आ. 1581(अ).—केन्द्रीय सरकार, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 (2000 का 21) की धारा 69ख की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, देश में साइबर सुरक्षा में वृद्धि करने के लिए और कंप्यूटर संदूषित करने के लिए घुसपैठ या प्रसार की पहचान, विश्लेषण और निवारण के लिए भारतीय कंप्यूटर आपात प्रतिक्रिया दल, एक अभिकरण जिसे केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचना संख्यांक का.आ. 2689(अ), तारीख 27 अक्तूबर, 2009 द्वारा किसी कंप्यूटर स्रोत से जिनत, संप्रेषित, प्राप्त या भंडारित ट्रैफिक डाटा या सूचना को मानीटर और एकत्रित करने के लिए नियुक्त किया गया है, को प्राधिकृत करती है।

[सं. 1(5)/2015-सीएलएफई]

रमेश कुमार सुधाँश, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY

(Department of Electronics and Information Technology)

NOTIFICATION

New Delhi, the 26 April, 2016

S.O. 1581(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 69B of the InformationTechnology Act, 2000 (21 of 2000), the Central Government, to enhance cyber security and for identification, analysis and prevention of intrusion or spread of computer contaminant in the country, hereby authorises the Indian Computer Emergency Response Team, an agency of the Central Government, appointed vide notification number S.O. 2689(E), dated the 27th October, 2009, to monitor and collect traffic data or information generated, transmitted, received or stored in any computer resource.

[No. 1(15)/2015-CLFE]

RAMESH KUMAR SUDHANSHU, Jt. Secy.

2076 GI/2016